अधिसूचना सं0 14/2014-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ग की उपधारा (1) और धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (जजज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लेस आफ प्रोविजन आफ सर्विस रूल्स, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

(1) (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लेस आफ प्रोविजन आफ सर्विस (संशोधन) रुल्स, 2014 है ।

(ख) ये 1 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।

(2) प्लेस आफ प्रोविजन आफ सर्विस रूल्स, 2012 में,--

(क) नियम 2 में, खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(च) "मध्यवर्ती" से ऐसा कोई दलाल, कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी सेवा (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मुख्य' सेवा कहा गया है) या माल के प्रदाय के प्रावधान की व्यवस्था करता है या उसे प्रदान करना सुकर बनाता है किन्तु उसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो अपनी ओर से मुख्य सेवा प्रदान करता है या माल का प्रदाय करता है :';

(ख) नियम 4 के खंड (क) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि यह उपनियम ऐसे माल की बाबत, जिनका भारत में मरम्मत के लिए अस्थाई तौर पर आयात किया जाता है और ऐसी मरम्मत के पश्चात् कराधेय राज्य क्षेत्र में किसी उपयोग में लाए बिना निर्यात किया जाता है, उस माल से भिन्न जो ऐसी मरम्मत के लिए अपेक्षित है, प्रदान की गई सेवा की दशा में लागू नहीं होगा :"

(ग) नियम 9 में खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) एक मास की अवधि तक,-

(i) वायुयानों, और

(ii) नौकाओं के सिवाय जलयानों

से भिन्न परिवहन के सभी साधनों को किराया पर देने वाली सेवाएं ।"

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 470(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं0 28/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।